न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 73/2019

1 हीराराम पुत्र केशराराम जाति मीना निवासी मकसूदपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
1/1 नारूराम पुत्र हीराराम।
1/2 मक्खनलाल पुत्र हीराराम।
1/3 प्रभूराम पुत्र हीराराम।
1/4 मदनलाल पुत्र हीराराम।
1/5 मोहनी देवी पुत्री हीराराम समस्त जाति मीणा निवासीगण मकसूदपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 नरसाराम पुत्र श्रीमती चन्दरी देवी पत्नी महादाराम।
2 मंगलाराम पुत्र श्रीमती चन्दरी देवी पत्नी महादाराम।
3 मूली देवी पुत्री श्रीमती चन्दरी देवी पत्नी महादाराम।
4 गाडूराम पुत्र केशरराम समस्त जाति मीणा निवासीगण मकसूदपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 उप पंजियक पलसाना जिला सीकर।
6 नायब तहसीलदार उप तहसील पलसाना जिला सीकर।
7 प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रैवासा जिला सीकर।
8 प्रबन्धक शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा कोछोर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व डिक्री व निर्णय दिनांकित
01.08.2019 अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 04/2015
बउनवानी हीराराम बनाम नरसाराम द्वारा न्यायालय
सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 17.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम मकसूदपुरा तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 448, 450,455,571,571/706,458/719 बाबत उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में इस आवेदन पर सुनकर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने चुनौतीग्रस्त आदेश में वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 259/97 जो पूर्व में सहायक कलेक्टर सीकर के यहां विचाराधीन था जो दिनांक 08.02.2011 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, के सम्बंध में उन्ही पक्षकारों के मध्य उसी वाद विषय के लिए हस्तगत वाद को प्रस्तुत मानकर वादकारण उत्पन्न होना नही मानकर वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया। अपीलांट/वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका था तो उसे पुनः उसी वाद विषय के लिए व उन्ही पक्षकारों के मध्य नया दावा प्रस्तुत किये जाने से वर्जित नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने चुनौतीग्रस्त आदेश में वाद कारण उत्पन्न होना नही माना। उक्त विवेचन विधिपूर्ण नही है क्योंकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के खण्ड (क) के अनुसार जहां वादपत्र में वाद हेतुक प्रकट नही किया गया है अंकित है अर्थात जहां वादी ने अपने वादपत्र में वाद हेतुक प्रकट नही किया है। कानूनन वाद पत्र में वादी को वादहेतुक प्रकट करना होता है। वादहेतुक सही है या गलत। उसका निर्धारण विवाद्यक/तनकी कायम करके तथा साक्ष्य लेने के उपरान्त ही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट को पूर्व में अदम हाजरी में खारिज वाद को पुन संस्थापन करने का एवं नये सिरे से वाद प्रस्तुत करने का दोनों विकल्प उपलब्ध थे। इस तथ्य पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी. एन.जे. राज. 2002(3) पेज 1374, आर.बी.जे. 2009(16) पेज 348 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी द्वारा विवादित भूमि के सन्दर्भ में सहायक कलेक्टर सीकर के समक्ष दिनांक 14.12.1997 को वाद संख्या 259/1997 प्रस्तुत किया गया था। यह वाद दिनांक 08.02.2001 को खरिज हो चुका है। पुन समान पक्षकारों के मध्य समान भूमि को लेकर प्रस्तुत किया गया वाद पूर्व न्याय के सिद्वान्त से ग्रसित होने के कारण विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपने चुनौतीग्रस्त आदेश में वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद संख्या 259/97 जो पूर्व में सहायक कलेक्टर सीकर के यहां विचाराधीन था जो दिनांक 08.02.2011 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, के सम्बंध में उन्ही पक्षकारों के मध्य उसी वाद विषय के लिए हस्तगत वाद को प्रस्तुत मानकर वादकारण उत्पन्न होना नही मानकर वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया। अपीलांट/वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका था तो उसे पुनः उसी वाद विषय के लिए व उन्ही पक्षकारों के मध्य नया दावा प्रस्तुत किये जाने से वर्जित नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने चुनौतीग्रस्त आदेश में वाद कारण उत्पन्न होना नही माना। उक्त विवेचन विधिपूर्ण नही है क्योंकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के खण्ड (क) के अनुसार जहां वादपत्र में वाद हेतुक प्रकट नही किया गया है अंकित है अर्थात जहां वादी ने अपने वादपत्र में वाद हेतुक प्रकट नही किया है। कानूनन वाद पत्र में वादी को वादहेतुक प्रकट करना होता है। वादहेतुक सही है या गलत। उसका निर्धारण विवाद्यक/तनकी कायम करके तथा साक्ष्य लेने के उपरान्त ही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट को पूर्व में अदम हाजरी में खारिज वाद को पुन संस्थापन करने का एवं नये सिरे से वाद प्रस्तुत करने का दोनों विकल्प उपलब्ध थे। इस तथ्य पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. राज 2002(3) पेज 1374 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Civil Procedure Code, 1908 - O.7R.11&O.9R.4- Claim petition was dismissed for want of prosecution on 20.5.1993 - Counsel was absent at the time of hearing - Claimants - appellants instead of filing restoration application, filed a fresh claim petition- Claim petition dismissed beigh not maintainable - Writ petition also dismissed against the order - Provisions of O. 7 are not applicable to such proceedings - Provisions of O 9 are attracted- Clainmants or plaintiff may bring a fresh suit or claim within limitation or may apply for setting aside the order of dismissal -No period of limitation provided under the amended Act - Held, Impugned orders are contrary to law & set aside & case remitted back to decide afresh.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया अनुसार जवाब, तनकी, साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2022 को उपस्थिति देवे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर